सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 917 राँची, बुधवार, 8 अग्रहायण, 1939 (श०)

29 नवम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

10 नवम्बर, 2017

विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना की संशोधित नीति के संबंध में ।

संख्या:- खा० प्र०-02-अधि०-01/2017 – 4620-- राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गयी है । विगत् वर्षो की कठिनाईयों को देखते हुए अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए इस योजना का संशोधित स्वरूप निर्धारित किया गया है ।

2. भारत सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है । राज्य के किसानों से इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु पैक्स (Primary Agriculture Credit Co-operative Societies)/लैम्पस (Large Area Multi Purpose Co-operative Societies)/कृषक सेवा

सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला, अधिप्राप्ति केन्द्र होंगे । कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

3. विभागीय संकल्प संख्या 7207, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं भारतीय खाद्य निगम को अधिप्राप्ति एजेंसी प्राधिकृत किया गया है । धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची नोडल अभिकरण होगा ।

4. अधिप्राप्ति का कार्य कम्प्युटरीकृत प्रणाली के तहत् कराया जायेगा । निबंधित सभी किसानों को SMS/दूरभाष के माध्यम से इस आशय से अवगत कराया जायेगा की संबंधित अधिप्राप्ति केन्द्रों से संपर्क कर धान बिक्री की तिथि से संबंधित टोकन प्राप्त कर लिया जाय जिस पर टोकन संख्या अंकित रहेगी । इसके लिए अधिप्राप्ति केन्द्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा । जिन किसानों द्वारा टोकन नहीं प्राप्त किया जाता है उन्हें Sequential (क्रमबद्ध) आधार पर धान बिक्री की तिथि हेतु SMS भेजा जायेगा ।

5. धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा । केन्द्रों के चयन में पूर्व में की गयी अधिप्राप्ति, अन्य कार्य की उपलब्धि व क्रियाशीलता एवं उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखा जाएगा ।

प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जायेंगे । भारतीय खाद्य निगम, Private players एवं जिला अनुश्रवण समिति द्वारा प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जा सकते हैं । निबंधक सहयोग समितियाँ द्वारा आवश्यक समीक्षा कर जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुशंसित अधिप्राप्ति केन्द्रों की सूची प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड को उपलब्ध करायी जायेगी ।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों पर नमीमापक यंत्र, विश्लेषण कीट, डिजिटल वेंईग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा । अधिप्राप्ति में संलग्न एजेंसी एवं कर्मियों को भारतीय खाद्य निगम एवं गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसानों को मजदूरों की व्यवस्था भुगतान के आधार पर की जायेगी ।

7. जिन क्षेत्रों में अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है उन क्षेत्रों में धान के परिवहन का कार्य जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से चयनित परिवहनकर्ताओं द्वारा या डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहनकर्ताओं या झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के परिवहनकत्ताओं द्वारा किया जायेगा । परिवहन में भारत सरकार द्वारा देय राशि से अधिक परिवहन व्यय होने की स्थिति में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की जायेगी। इसमें होने वाली राशि का व्यय ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' शीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी । NCML के क्षेत्रों में उक्त परिवहन व्यवस्था को लागू करने से संबंधित यदि

भारतीय खाद्य निगम एवं NCML की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विचार किया जायेगा ।

परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक दिन केन्द्रों से धान का उठाव कर लिया जायेगा । राईस मिलों के पास भंडारण क्षमता समाप्त हो जाने की स्थिति में बाजार समिति द्वारा राईस मिल को बाजार समिति के प्रांगण में निशुल्क गोदाम उपलब्ध कराया जायेगा । बाजार समिति के प्रांगण में उपलब्ध गोदामों में भंडारित धान की देख-रेख के लिए संबंधित राईस मिलर स्वयं जिम्मेदार होगें । भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमित रूप से CMR ली जायेगी ताकि भण्डारण की समस्या उत्पन्न न हो । CMR का परिवहन राईस मिलरों द्वारा ही किया जायेगा ।

8. खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू, दक्षिणी छोटानापुर एवं कोल्हान प्रमंडल में भारतीय खाद्य निगम एवं उसके द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर एन॰सी॰एम॰एल॰ द्वारा किया जायेगा । झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल एवं संथाल परगना प्रमण्डल में अधिप्राप्ति का कार्य किया जायेगा ।

9. खरीफ विपणन मौसम 2017-18 हेतु विगत वर्ष की भाँति 4 लाख मैट्रिक टन अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ।

10. खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में रामगढ़ जिले मे Decentralized Procurement System (DCP) लागू की गई थी इसे धनबाद, बोकारो, जामताड़ा एवं कोडरमा जिलों में भी लागू किया जाता है ।

11. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर राईस मिल द्वारा CMR जमा कर देने की स्थिति में मिलिंग शुल्क के समतुल्य खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राईस मिलों को इनसेंटिव दी जायेगी । निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्तमान मिलिंग शुल्क के आधार पर इसमें रूपये 8,00,00,000/- (आठ करोड़ रूपये) मात्र व्यय संभावित है । राशि का व्यय ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' शीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी । समय सीमा का निर्धारण विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

झारखण्ड सी॰एम॰आर॰ नियंत्रण आदेश-2016 के प्रावधानों के तहत राईस मिलों द्वारा अपनी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत अधिप्राप्त किये गये धान का मिलिंग करने के पश्चात् ही अपने व्यापारिक कार्यों को किया जायेगा ।

12. बोरा की व्यवस्था मानक के अनुसार नोड्ल अभिकरणों द्वारा किया जाएगा । नोड्ल एजेन्सी धान की मात्रा के अनुसार बोरा क्रय कर केन्द्र को उपलब्ध कराएगी । अधिप्राप्ति हेतु राशि की व्यवस्था सभी अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा किया जायेगा ।

13. भुगतान - सभी अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्रय क्षेत्र में किसानों द्वारा बिक्री किये गये धान का मूल्य का भुगतान NEFT/RTGs/DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाता में किया जायेगा ।

14. क्रय केन्द्रों पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं कृषि मित्रों आदि की प्रतिनियुक्ति की जायेगी । प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा धान की गुणवत्ता की जाँच तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा

धान की मात्रा/वजन की जाँच की जायेगी । प्रत्येक केन्द्र पर धान के उठाव के दौरान मिलर के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि धान की मात्रा/वजन एवं गुणवत्ता का सत्यापन हो सके अन्यथा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित गुणवत्ता एवं वजन राईस मिलरों को मान्य होगा । क्रय केन्द्रों पर जिला द्वारा रोस्टर तैयार कर उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति इस प्रकार की जायेगी जिससे कि सभी क्रय केन्द्रों पर पदाधिकारियों/कर्मियों की सत्तत उपस्थिति सुनिश्चित किया जा सके ।

15. उत्तरी छोटानागपुर एवं संथाल परगना प्रमण्डल में इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा मिल में तैयार सी॰एम॰आर॰ के आधार पर ससमय निर्गत किया जाएगा । इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी । चावल मिल का निबंधन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा । इसके लिए जिला में स्थित मिल विहित प्रपत्र में आवदेन संबंधित जिलों के उपायुक्त को जमा करेंगे । भौतिक सत्यापन के पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस योजनान्तर्गत निबंधन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे । नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधक द्वारा निबंधित मिल के साथ विहित प्रपत्र में अनुबंध किया जाएगा ।

16. सहकारिता विभाग एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा अधिप्राप्ति के संबंध में विचार-विमर्श किया जायेगा । यदि किसी प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता होगी तो आपसी विचार-विमर्श से संशोधन किया जायेगा ।

17. उत्तरी छोटानागपुर एवं संथाल परगना प्रमण्डल में विपत्र की तैयारी हेतु वांछित कागजात का संग्रहण नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा । जिला प्रबंधक तत्परतापूर्वक विपत्र तैयार कर एफ॰सी॰आई॰ को प्रेषित करेंगे तथा भुगतान के लिए लगातार सम्पर्क स्थापित करेंगे । एफ॰सी॰आई॰ से भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त इसके त्वरित वितरण के लिए नोड्ल अभिकरण व्यवस्था करेगी । किसानों को धान का भुगतान से संबंधित खर्च का ब्योरा एवं लेखा की सारी जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी । भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा एवं लेखा की सारी जिम्मेवारी राज्य खाद्य निगम की होगी । उपरोक्त दोनों कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी की देख-रेख एवं पर्यवेक्षण में कराया जायेगा ।

18. अंकेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नियमानुसार किया जायेगा । केन्द्रवार ससमय लेखा संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य इस प्रकार कराया जाएगा कि अगले खरीफ विपणन मौसम में अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व गत वर्ष के योजना का लेखा तैयार हो जाए ।

19. अधिप्राप्ति योजना को सशक्त बनाने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्रों पर टैबलेट, नमीमापक यंत्र, विश्लेषण कीट, डिजिटल वेंईग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की जानी है । उपकरणों की व्यवस्था खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निविदा/Government e market Place (GeM) के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ता से क्रय कर की जायेगी। इसमें लगभग रूपये 2,50,00,000/-(दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र व्यय संभावित है । राशि का व्यय ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

20. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्सिडेंटल चार्जेज एवं कॉस्ट शीट मान्य होगा एवं इसे संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं एवं जिला को प्रेषित की जायेगी ।

21. अनुश्रवण हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर धान अधिप्राप्ति योजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है: -

<u>राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

विकास आयुक्त	- अध्यक्ष
सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य
सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य
निबंधक, सहयोग समितियाँ	- सदस्य
विशेष सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य सचिव
अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य
संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०	- सदस्य
उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य

यह समिति सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी ।

<u>जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

उपायुक्त	- अध्यक्ष
अपर समाहर्ता	- सदस्य
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य
जिला सहकारिता पदाधिकारी	- सदस्य
जिला कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०	- सदस्य सचिव
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	- सदस्य
क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	- सदस्य

इस समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो का अनुश्रवण किया जाएगाः-

(i) धान उत्पादक किसानों का पंजीकरण
(ii) धान अधिप्राप्ति केन्द्र का चयन
(iii) केन्द्रवार न्यूनतम लक्ष्य का निर्धारण

(iv) किसानों से धान क्रय एवं भुगतान
(v) बोरा की व्यवस्था
(vi) अस्थायी संग्रहण केन्द्र का संचालन
(vii) केन्द्र का अस्थायी संग्रहण केन्द्र/मिल के साथ सम्ब्द्वता
(viii) चावल मिल का निबंधन एवं अनुबंध
(ix) धान एवं चावल का परिवहन
(x) मिल में सी॰एम॰आर॰ की तैयारी एवं एफ॰सी॰आई॰ में आपूर्ति
(xi) विपत्र तैयारी, सम्प्रेषण एवं भुगतान प्राप्त कर संबंधितों को वितरित करना
(xii) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।

प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति

प्रखंड विकास पदाधिकारी	- अध्यक्ष
प्रखंड आपूर्ति/पणन पदाधिकारी	- सदस्य
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	- सदस्य
प्रखंड कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
राजस्व कर्मचारी	- सदस्य
अध्यक्ष/संचालक एवं सहायक प्रबंधक सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र	- सदस्य

इस समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो का अनुश्रवण किया जाएगा -

(i) धान अधिप्राप्ति योजना का व्यापाक प्रचार-प्रसार
(ii) धान उत्पादक किसानों का निबंधन
(iii) अधिप्राप्ति हेतु केन्द्र की तैयारी
(iv) किसानों से धान क्रय एवं भुगतान की व्यवस्था
(v) बोरा की व्यवस्था
(vi) क्रय धान का सुरक्षित भंडारण
(vii) धान का परिवहन
(viii) राशि की व्यवस्था
(ix) सफल संचालन हेतु अन्य कार्य जो प्रासंगिक हो ।

22. अधिप्राप्ति योजना के अनुश्रवण हेतु सभी स्टेक होल्डर के साथ अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिदिन एवं उपायुक्त द्वारा सप्ताहिक बैठक आयोजित की जायेगी । राज्य स्तर पर सत्त अनुश्रवण हेतु एक मोनेटरिंग सेल (अनुश्रवण कोषांग) का गठन किया जायेगा ।

23. सभी अधिप्राप्ति एजेंसियों को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । विभाग द्वारा

जारी किये गये दिशा-निर्देशों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

24. अधिप्राप्ति योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने हेतु इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा । खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अधिप्राप्ति केन्दों, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर फ्लैक्स एवं बैनर लगाया जायेगा । खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा बुकलेट प्रिन्ट कराकर किसानों एवं स्टेट होल्डर के बीच जिला/अधिप्राप्ति एजेंसियों के माध्यम से वितरित कराया जायेगा । प्रचार-प्रसार में व्यय होने वाली राशि का उपबंध कौशल विकास योजना से किया जायेगा ।

25. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 7 नवम्बर, 2017 की बैठक की मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

ह०/-
विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 917-100